05|2014 परिपत्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग 'कर भवन' अजमेर

क्रमांक : एफ.4 (582)(A)स्टाम्पस./सप्लाई/ 1131–1380 दिनांक : 31|3|14

समस्त कोषाधिकारी
राजस्थान।

समस्त उपकोषाधिकारी
राजस्थान।

परिपत्र

विषय :– स्टाम्पो को विक्रय करने के संबंध में।

....

राज्य के समस्त जिला कोषागारो को स्टाम्पो की सप्लाई नोडल ट्रेजरी कोष कार्यालय अजमेर से कराई जाती है तथा जिला कोषाधिकारियों द्वारा उनके अधीन उप कोषाधिकारियों को स्टाम्पो की सप्लाई की जाती है। अतः स्टाम्पों की सप्लाई/विक्रय करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें :–

1– "राजस्थान या राज" शब्द एडीसिव टिकटों पर अंकित कर जारी करना :

केन्द्रीय स्टाम्प डिपो नासिक रोड़ एवम् सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद से जो नोन जुडीशियल/जुडीशियल मुद्रांक प्राप्त होते है उन सभी पर राजस्थान शब्द छपा होता है । परन्तु एडीसिव टिकटों पर राजस्थान शब्द अंकित नहीं होता है। इस क्रम में विभागीय परिपत्र संख्या 9/2004, परिपत्र संख्या 20/09 एवम् पत्र क्रमांक 983–1083 दिनांक 10.4.2012 से यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि राजस्थान स्टाम्प नियमावली 2004 के नियम 4 (2) के नीचे अंकित नोट के अनुसार प्रत्येक स्टाम्पों/एडीसिव टिकटों पर राज अथवा राजस्थान शब्द अंकित कर ही जारी करना अनिवार्य है, परन्तु यह पाया गया है कि स्पेशल एडीसिव टिकटों, नोटेरी टिकटों, रेवेन्यू टिकटों, कोपिंग फीस एवम् कोर्ट फीस एडीसिव टिकटों पर राजस्थान या राज शब्द अंकित नहीं किया जा रहा है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/उपकोषालय से जारी होने वाले सभी एडीसिव टिकटों पर राजस्थान या राज शब्द अंकित कर ही टिकट जारी किये जावें:–

2– स्टाम्प जारी करने से पूर्व कोषालय/उपकोषालय की मोहर एवं तिथि अंकित करने के संबंध में :

कोषालय/उपकोषालय से स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प सप्लाई करने से पूर्व प्रत्येक नोन ज्युडीशियल मुद्रांक/ज्युडिशीयल इम्प्रेस्ड मुद्रांक पर राजस्थान शब्द प्रिन्ट होने के नीचे बॉयी तरफ कोषालय/उपकोषालय की गोल मोहर तथा तिथि की मोहर अंकित करें, ताकि पूर्व तिथियो में स्टाम्प के दुरूपयोग पर रोक लगाई जा सके।

3– स्टाम्प वैन्डर्स को सप्लाई किये स्टाम्पस की डिनोमिनेशन वार उनके सिरियल नम्बर का अलग से रजिस्टर संधारित निम्न प्रपत्र में इन्द्राज आवश्यक रूप से किया जावें।

क्र.स.	नाम स्टाम्प वैन्डर एवं लाईसेंस न.	स्टाम्प सप्लाई करने की तारीख	स्टाम्पस की डिनोमिनेशन	स्टाम्पोंकी कुलसंख्या	सिरियल नम्बर .....से ...तक

4– पूर्व मृतक स्टाम्प वैन्डर के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी एवं अन्य कारणों से स्टाम्प वैन्डर के पुराने लाईसेंस के स्थान पर नवीन लाईसेंस जारी होने पर पुराने लाईसेंस के कलेक्टर स्टाम्पस के यहां जमा हो जाने की पुष्टि उपरांत ही नवीन लाईसेंस पर स्टाम्प सप्लाई किये जावें।

5– स्टाम्प सप्लाई करने से पूर्व स्टाम्प वैन्डर के लाईसेंस की वैद्यता तिथि की जांच करने क उपरांत ही उसे स्टाम्प सप्लाई हेतु जारी किया जावें। वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत लाईसेंसो की सूची संबंधित उप महानिरीक्षक द्वारा आपको प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो की पालना सुनिश्चित् की जावे।

31.03.14

(एल.एन. सोनी)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.4 (582)(A)स्टाम्पस./सप्लाई/ 1381–1420 दिनांक : 31|3|14.

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, कोष एवम् लेखा राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
3. अतिरिक्त कलेक्टर (स्टाम्पस्) एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (स्टाम्पस्) राजस्थान जयपुर को भेजकर यह निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत लाईसेंसों की सूची संबंधित कोषाधिकारियो/उपकोषाधिकारियों को शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित् करावें।

31|3|14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर